(29)

निदेशालय शिक्षा
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

–::विद्या परिषद की बैठक कार्यवाही विवरण::–

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.09.2015 को विश्वविद्यालय के सभा भवन में अपरान्ह् 2:00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में परिषद् के निम्न सदस्य उपस्थित रहेः–

1.	प्रो. बी. आर. छींपा–कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	अध्यक्ष
2.	श्री असलम मेहर–कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
3.	डॉ. एम.सी. बोहरा–अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर	सदस्य
4.	डॉ. बी.एस. भीमावत– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,सुमेरपुर–पाली	सदस्य
5.	डॉ. के.एल. पूनिया– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय,नागौर	सदस्य
6.	डॉ. ईश्वर सिंह–निदेशक, कृषि प्रसार शिक्षा, कृ.वि.वि. जोधपुर	सदस्य
7.	डॉ. बी. आर. चौधरी–निदेशक अनुसंधान, कृ.वि.वि. जोधपुर	सदस्य
8.	डॉ. जी.आर. खैरवा–प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सांख्यिकी)	सदस्य
9.	डॉ. बी.एस. राठौड़– प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पादप रोग विज्ञान)	सदस्य
10.	डॉ. शम्भू सिंह सोलंकी–निदेशक, मानव संसाधन एवं शिक्षा, कृ.वि.वि. जोधपुर	सचिव

आमंत्रित सदस्य–

1.	श्री बिरदा राम चौधरी–वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	–

माननीय कुलपति प्रो. बी.आर. छींपा, श्री असलम मेहर, कुलसचिव, समस्त अधिष्ठाताओं, निदेशकों एवं सदस्यों का डॉ. शम्भू सिंह सोलंकी ने स्वागत किया। तत्पश्चात् कार्यसूची अनुसार बैठक प्रारंभ की गई । बैठक में लिए गए निर्णय कार्यसूची अनुसार निम्नलिखित हैंः–

कार्यसूची क्रमांक	कार्य सूची विवरण एवं निर्णय
कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 01	गत बैठक के निर्णयों का पुष्टिकरण तथा क्रियान्वयन पर विचारार्थ। **निर्णयः–माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्रियान्वयन के प्रतिवेदन की आवश्यकता दर्शायी तथा निर्देश दिये कि उक्त रिपोर्ट संबंधित कार्यालय / अधिकारी अनिवार्य रूप से भेजे तथा सचिव इस संबंध में आवश्यक अनुस्मरण करायें। पिछली बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। निम्न बिन्दुओं पर पुर्नविचार कर आवश्यक बदलाव / आंशिक परिवर्तन इत्यादि पर सदस्यों की सहमति द्वारा निर्णय हुआ। (संलग्नक–I-III)**

(28)

कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 02	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू (सत्र 2016–17) करने की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु विचारार्थ । **उक्त प्रस्ताव आस्थगित किया गया।**
कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 03	सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की पुर्ननियुक्ति करने पर विचारार्थ विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के अंतर्गत कई पद रिक्त हैं । अतः शिक्षा, अनुसंधान कार्य एवं कृषि प्रसार शिक्षा के कार्यों को सुचारू एवं सुव्यवस्थित ढंग से निष्पादन हेतु निर्णय लिया गया कि रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त प्राध्यापकों की सेवाऐं संविदा आधार पर ली जाऐ । सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को सेवाऐं संविदा आधार पर लेने हेतु आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ 1 (पे–पेंशन) स्था / आकाशि / 15 / 718 दिनांक 20 जुलाई 2015 को अंगीकार करने पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई । रिक्त पदों पर पुर्ननियुक्ति की तत्कालिक आवश्यकता को विचार कर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उक्त निर्णय प्रबंध मण्डल की पहली बैठक (5.10.2015) में विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु रखा जावें । इस निर्णय की सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये गये । उक्त निर्णय पर प्रबंध मण्डल एवं राज्य सरकार की सहमति तथा स्वीकृति पश्चात् अनुपालना एवं अपेक्षित आवश्यक संशोधन हेतु एक अधोलिखित समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हैं :– 1.कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर । 2. निदेशक, शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर । 3.वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर । 4.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर–पाली।

(27)

कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 04	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर विचारार्थ । (अ)गेस्ट फैकल्टी को देय परिलब्धियों को परिशोधित करने हेतु (ब)अतिरिक्त वैकल्पित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु (स)पाठ्यक्रम विवरणिका का परिशोधन। (द)महाविद्यालय वेबवाईट अलग से प्रारंभ करने हेतु अनुमति। (ड़.)प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति अथवा गेस्ट फैकल्टी लगाने हेतु। **निर्णयः–** **(अ) श्री असलम मेहर कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि इस आशय का एक पत्र पूर्व में राज्य सरकार को प्रेषित किया जा चुका हैं । उक्त पत्र में प्रति कालांश देय राशि 500/–रूपये से बढ़ाकर 1000/–रूपये प्रति कालांश किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार से स्वीकृति एवं निर्देश प्राप्त होने पर अमल किया जाना संभावित हैं। यद्यपि इस संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया तथापि पुनः पत्र प्रेषित किये जाना उचित होगा।** **(ब) वर्तमान में प्राध्यापकों की कमी को मद्देनजर रखते हुए नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करना उचित प्रतीत नहीं माना गया ।** **(स) पाठ्यक्रम विवरणिका में आवश्यक संशोधन के पश्चात् विश्वविद्यालय मुद्रण की व्यवस्था करें। संकाय अध्यक्ष एवं समस्त अधिष्ठाता इस संबंध में उचित कार्यवाही करें ।** **(द) विश्वविद्यालय स्तर पर वेबसाईट का संचालन किया जा रहा हैं । इसमें आवश्यकता होने पर सुधार,परिवर्तन इत्यादि कर संघटक महाविद्यालयों, निदेशालयों, अनुसंधान केन्द्रों/उप–केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा प्रशासनिक वित्तीय कार्यों से संबंधित जानकारी/अन्य आवश्यक सूचना इत्यादि वेबसाईट पर सुगमता एवं सरलतापूर्वक उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयत्न करने हेतु सहमति बनी ।** **(ड़.) इस बैठक की निर्धारित बिन्दु स्थल (3) के विवेचन के दौरान निर्णय निर्देशित किया जा चुका।**

(26)

कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 05	प्रधानाचार्य, कृषि ड़िप्लोमा संस्थान, लाडनुं द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर विचारार्थ (अ) कृषि डिप्लोमा संस्थान, लाडनुं को अस्थाई तौर पर कृषि महाविद्यालय, नागौर में स्थानांतरित करने हेतु। (ब) शिक्षण सत्र–2015–16 को शून्य सत्र घोषित करने हेतु। (स) कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम लागू करने हेतु (द) उच्च पदों के आवेदन पत्र को अग्रेषित करने हेतु नियम / प्रक्रिया पर विचारार्थ। (ड़.)गेस्ट फैकल्टी लगाने हेतु। **निर्णयः–** **(अ) यह प्रकरण लंबित हैं, वर्तमान में विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा तथा शिक्षकों की अनुउपलब्धता इत्यादि की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए सभी सदस्यों द्वारा एक राय से इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं तथा समिति को रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करने का निर्देश दिये गये ।** **1.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर।** **2.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर–पाली।** **3.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर।** **4.प्रधानाचार्य, कृषि डिप्लोमा संस्थान, लाडनुं–नागौर।** **5.निदेशक, शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।** **(ब) कृषि डिप्लोमा संस्थान, लाडनुं स्थित सभी स्वीकृत पद रिक्त हैं, क्योंकि चयन प्रक्रिया किन्हीं कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी। अतः अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता हैं। इस बाबत् सभी सदस्यों द्वारा शिक्षा सत्र–2015–16 को शून्य सत्र घोषित करने हेतु सहमति प्रदान की गई ।** **(स) कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा निदेशक शिक्षा को आवश्यक संबंधित कार्यवाही करने का कहा गया।** **(द) उच्च पदों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने हेतु नियमों का गठन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य निम्नानुसार हैः–** **1.निदेशक, मानव संसाधन विकास,कृ.वि.वि. जोधपुर।** **2.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर।** **3.अनुभाग अधिकारी, कृषि विश्ववविद्यालय,जोधपुर।** **(ड़.) राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।**

(25)

कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 06	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना द्वारा प्रस्तुत निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ। (अ)एरियर पैमेन्ट (ब)बजट (स)मैन पावर मुहैया कराना (द)निर्माण कार्य से संबंधित **निर्णयः–उक्त बिन्दु विद्या परिषद् के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।**
कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 07	विद्या परिषद में सदस्यों के सहयोजन पर विचारार्थ **वर्तमान में विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र / कृषि व्यवसाय प्रबंधन, उद्यानिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी विषयों के वरिष्ठ प्राध्यापक / वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन विषयों के विषय विशेषज्ञों का कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत सहयोजन किया गया। विभिन्न नामों पर चर्चा उपरांत निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों को सहयोजित किया गया।** **1.डॉ. नरपत सिंह शेखावत, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र तथा पादप जैव प्रौद्योगिकी,(सेवानिवृत्त) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर।** **2.डॉ. राजेश शर्मा, निदेशक, कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।** **3.डॉ. एन.आर. पंवार, सीनियर सांईन्टिस्ट(मृदा विज्ञान) डिविजन ऑफ नेचुरल रिर्सोसेस एण्ड इनवायरमेंटल सांइन्सेस, काजरी, जोधपुर।** **4.डॉ. रविन्द्र पालीवाल, प्रोफेसर (उद्यानिकी), राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, रारी, दुर्गापुरा, जयपुर।**
कृ.वि.वि.जो. / वि.प.–1 / 2015 / 08	कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान की स्थापना के संबंध में बुनियादी सुविधाओं का पता लगाने हेतु विचारार्थ। **प्रस्तावित कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की उपयोगिता की संभावनाओं का पता लगाने हेतु एक समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे–**

	1.संकाय अध्यक्ष (कृषि), कृ.वि.वि.जोधपुर (समिति अध्यक्ष) 2.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर। 3.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर–पाली। 4.अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर। 5.निदेशक, पी.एम.ई.,कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर। 6.निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर। 7.डॉ. जी.आर. खैरवा, प्रोफेसर सांख्यिकी। 8.वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर। उक्त समिति की बैठक कृषि व्यवसाय प्रबंध संस्थान, बीकानेर में किया जाना प्रस्तावित हैं। समिति 7 दिवस में रिपोर्ट देवें ताकि राज्य सरकार को शीघ्र सूचित किया जा सकें।

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए सचिव ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा तथा बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

14.10.2015

सचिव

(निदेशक शिक्षा)